27.01.2021

पत्रावली पेश। प्रार्थी/वादी द्वारा इस आशय का अनुतोष चाहा गया है कि वर्तमान जमाबंदी में अप्रार्थीगण कालासिंह के नाम से 1.162 है., मरमजीत कौर के नाम से 1.164 है., वीरपाल कौर के नाम से 1.163 है., कुल 3.489 है. भूमि दर्ज हो गई है, को दुरुस्त करते हुए हरदेवसिंह, कालासिंह, कर्मजीत कौर के नाम से 20.949 है. का 5/14 में से 1/6 हिस्सा ब. हि. ब. दर्ज किया जावे।

पूर्व में पत्रावली स्टेट बनाम हरीसिंह वगैरह में दिनांक 05.07.2019 के फैसले द्वारा इसी आशय का अनुतोष दिया जा चुका है। CPC की धारा 11 के अनुसार कोई भी न्यायालय किसी ऐसे वाद या विवाद्यक का विचारण नहीं करेगा, जिसमें किसी पूर्ववर्ती वाद/प्रा. पत्र में विचारण के पश्चात उसी न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से विनिश्चित किया जा चुका है। अतः वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। आदेश सुनाया गया। विस्तृत निर्णय पृथक से संलग्न है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Priinka

उप जिला कलेक्टर
श्री विजयनगर